



5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0 एल0 खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र0/NBPDCL-26/2018 के पृष्ठ संख्या 07/टि0 पर दिनांक 06.02.2019 को प्राप्त है।
9. राज् देश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र0/NBPDCL-26 2018 पृष्ठ संख्या- 10/टि0 पर दिनांक-13.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रत्यय अमृत),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र0/NBPDCL-26/2018

पटना, दिनांक-

प्रतिनिधि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र0/NBPDCL-26/2018 - 426

पटना, दिनांक- 13/02/2019

प्रतिनिधि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रबन्ध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।